फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

ग्यारसा बनाम गोपाल वगै0

नं0 :— 108/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21.05.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	
21.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया किया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 442/257 रकबा 0.2600है0, खसरा नम्बर 443/257 रकबा 0.0400है0 ग्राम चिलपली, पटवार हल्का बहलोड, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम चिलपली, पटवार हल्का बहलोड, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 442/257 रकबा 0.2600है0, खसरा नम्बर 443/257 रकबा 0.0400है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जिला–जयपुर जमवारामगढ़	